(3)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–1358 / दस–2010
लखनऊ : दिनाँक : 19 जुलाई, 2010

कार्यालय–ज्ञाप / शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1515 / दस–2008–308 / 97, दिनाँक 8.12.2008 के अनुकम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय– ज्ञाप के प्रस्तर 4(I)(IV) को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित समझा जाये :–

वर्तमान व्यवस्था	एतदद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।	किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0ए0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

2– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैण्ड, जैसा कि वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–वे0आ0–2–13400 / दस– 59(एम) / 2008, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये गये है, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिए गए है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहॉ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रूपये 3500 / – प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुये) घटा कर किया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देय होगा।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संलग्नक : यथोक्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2)–समस्त, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियॉ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियॉ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पॉच प्रतियॉ)

—2/–

संख्या–सा–3–1358(1)/दस–2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–	सचिवालय के समस्त अनुभाग।	प्रत्येक को एक प्रति
2–	सचिव, विधान सभा, परिषद,विधान भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
3–	निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
4–	निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
5–	निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
6–	सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ।	–5 प्रतियॉ–
7–	मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद	–5 प्रतियॉ–
8–	मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।	–5 प्रतियॉ–
9–	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।	–5 प्रतियॉ–
10–	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
11–	इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।	–5 प्रतियॉ–
12–	मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिकी कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, महानिरीक्षक, होमगार्डस, उ0प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झॉसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	–5 प्रतियॉ–

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0ए0पी0–एफी0 36 साधित्त–18.08.2010–(840)–5000 प्रतियां (क0/आ0)।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1358/दस–2010, दिनाँक 19 जुलाई, 2010 का संलग्नक

क्रम संख्या	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन	ग्रेड पे	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन
1	2	3		4	5	6	7
1	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200–85–4900	5200–20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000–100–6000	5200–20200	2400	7510	2400	9910	4955
5	4500–125–7000	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500–125–7250	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000–150–8000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5500–175–9000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500–200–10500	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450–225–11500	9300–34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7500–250–12000	9300–34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000–275–13500	9300–34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000–275–13500	15600–39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550–275–14600	15600–39100	5400	15600	5400	21000	10500
15	10000–325–15200	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10650–325–15850	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000–375–16500	15600–39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300–400–18300	37400–67000	8700	37400	8700	46100	23050
19	16400–450–20000	37400–67000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400–500–22400	37400–67000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400–525–24500	67000–79000	—	67000	—	67000	33500

टिप्पणी:–

(1)– दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान रू0 2550–3200, रू0 2610–3540 तथा रू0 2650–4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनाँक 01–01–2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग रू0 7000/– से कम होने के कारण, इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन स्वतः रू0 3500/– प्रति माह निर्धारित होगी।

(2)–वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त, जहाँ किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हों, वहाँ ऐसे संशोधनों को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा।